न्यायालय सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.), झुंझुनूं

राजस्व वाद संख्या :– 1221/2024

पीठासीन अधिकारी : सुप्रिया (आर.ए.एस.)

भागीरथ **बनाम** **ताराचन्द आदि**

दावा बाबत् घोषणार्थ एवं स्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी

वकील प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 :– राजेश पुनियां

वकील अप्रार्थी/वादी :– झाबर सिंह शेखावत

निर्णय

निर्णय दिनांक 05.03.2026

प्रतिवादीगण संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी पेश कर कथन किया गया कि जमीन गत खसरा नम्बर 228 रकबा 14 बीघा 13 बिश्वा सरहद राजस्व ग्राम खटकड़ पुरानी तहसील उदयपुरवाटी हाल तहसील गुढागौड़जी में स्थित है। उक्त जमीन में भंवर सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति राजपुत 1/2 हिस्से का खातेदार था। जमाबन्दी सम्वत् 2015 से 2026 तक उक्त भंवरसिंह का नाम दर्ज है। यह कि उक्त भंवर सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति राजपुत निवासी बामलास ने जमीन गत खसरा नम्बर 228 में से अपने 1/2 हक हिस्सा की जमीन जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.03.1970 के माध्यम से प्रतिवादी ताराचन्द को विक्रय कर दी। विक्रय पत्र के मुताबिक प्रतिवादी ताराचन्द के हक में नामान्तरकरण संख्या 207 स्वीकार किया गया जाकर प्रतिवादी क्रेता ताराचन्द का नाम जमाबन्दी सम्वत् 2027 से 2030 में बतौर खातेदार दर्ज हो गया। जमीन गत खसरा नम्बर 228 वाके ग्राम खटकड़ के दौराने पैमाईश हाल खसरा नम्बर 321 रकबा 1.75 है0, खसरा नम्बर 322 रकबा 1.77 है0, खसरा नम्बर 2256/321 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 2270/321 रकबा 0.08 है0 बने तथा साथ में पुनः खसरा नम्बर 2270/321 के हाल खसरा नम्बर 363 व खसरा नम्बर 2256/321 के हाल खसरा नम्बर 366 तथा खसरा नम्बर 321 के हाल खसरा नम्बर 367 व खसरा नम्बर 322 के हाल खसरा नम्बर 368 बने जमाबन्दी सम्वत् 2047–2050 व जमाबन्दी सम्वत् 2051– 2054 से साबित है। जमीन खसरा नम्बर 363, 366, 367, 368 का बाक में पाबुदान सिंह व प्रतिवादी ताराचन्द ने विभाजन कर लिया विभाजन में प्रतिवादी ताराचन्द का जमीन खसरा नम्बर 367 रकबा 0.08 है0 व खसरा नम्बर 368/2 रकबा 1.77 है0 कुल 1.85 है0 जमीन प्राप्त हुई। जमाबन्दी सम्वत् 2055 से 2058 में विभाजन साबित है। बाद में खसरा नम्बर 368/2 व खसरा नम्बर 367/2 के हाल खसरा नम्बर 1233/367 व 368 बने हैं। उपरोक्त प्रकार से उक्त प्रकरण में विवादित जमीन प्रतिवादी ताराचन्द की स्वअर्जित सम्पति है। जिसमें वादी भागीरथ का कोई लेना देना नहीं हैं तथा ना ही कोई हक से कब्जा काश्त है। इस कारण वादी को मौजुदा वादपत्र के लिए वादकारण पैदा नहीं हुआ। वादकारण के अभाव में दावा खारिज योग्य है। विक्रय पत्र खारिज करवाने से पहले दावा विधि द्वारा वर्जित है। अन्त में प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मौजुदा वादपत्र वादकारण के अभाव में व विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज किया जावें।

अप्रार्थी/वादी की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश कर कथन किया गया है कि प्रार्थना पत्र की धारा 1 में यह वर्णित तथ्य की कृषि भूमि के पुराना खसरा

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

नम्बर 228 रकबा 14 बीघा 13 बिश्वा ग्राम खटकड की सरहद मे स्थित होना एवं उक्त भूमि मे भंवर सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति राजपुत का 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार था। जमाबन्दी सम्वत् 2015 से 2026 तक राजस्व रिकॉर्ड में भंवर सिंह का नाम दर्ज था। यह तथ्य स्वीकार है किन्तु उक्त खातेदार भंवर सिंह पुत्र भगवान सिंह ने उक्त खसरा नम्बर 228 में अपने हिस्से की 1/2 कृषि भूमि 7 बीघा 6.5 बिश्वा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता बालूराम के 1000/– रूपये में मीती ज्येठ सुदी 3 सम्वत् 2025 को गिरवी रखी की साड में अर्थात् खरीफ की फसल वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का पिता बालूराम पैदा करेगा तथा दो वर्ष के भीतर उक्त रकम का भुगतान कर देगा तो जमीन बालूराम के कब्जा काश्त से छुट जायेगी अन्यथा उक्त जमीन की रजिस्ट्री बालूराम के करवा दूंगा। उक्त लिखावट पर रेवेन्यू टिकिट पर भंवर सिंह के हस्ताक्षर है। उक्त लिखावट रामेश्वरदास स्वामी की है। किन्तु उक्त दो वर्ष में गिरवी रखी भूमि को भंवर सिंह रूपये देकर नही छुडा सका तो वादी व प्रतिवादी का पिता बालूराम था उसने अपने पुत्रों के नाम विक्रय पत्र कराना चाहा तो वादी सम्वत् 2027–28 में अर्थात् सन् 1969–1970 ग्वालियर शुटिंग मील ग्वालियर में नौकरी करता था। यहां ग्राम बामलास में ताराचन्द रहता था। इसलिए प्रतिवादी के नाम विक्रय पत्र तस्दीक करवा दिया गया था उसके बाद दोनों भाई संयुक्त रूप से उक्त भूमि में फसल पैदा करते थे तथा वर्तमान मे भूमि की वैल्यूवेशन अधिक हो गई तो प्रतिवादी संख्या 1/प्रार्थी के मन में बेईमानी आ गई। प्रार्थना पत्र की धारा संख्या 2 में वर्णित तथ्य भंवर सिंह पुत्र भगवान सिंह गत खसरा नम्बर 228 मे से अपना हिस्सा 1/2 पर ज्येठ सुदी तीज सम्वत् 2025 से ज्येठ सुदी तीज 2027 तक वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता बालुराम गिरवी की रूपये का भुगतान भंवरसिंह द्वारा नहीं करने पर यहां ग्राम बामलास में रह रहे अपने पुत्र ताराचन्द के नाम से विक्रय पत्र तस्दीक करवा दिया। प्रतिवादी/प्रार्थी ताराचन्द द्वारा गलत प्लीड किया है कि उसने भंवर सिंह खातेदार से क्रय की थी। अतिरिक्त उत्तर देते हुए जबावदेहन्दा वादी भागीरथ ने कथन किया है कि उक्त वादपत्र जबाव दावा, तनकियात, साक्ष्य वादी व प्रतिवादी के पश्चात् ऑन–मेरिट पर निर्धारित करने के पश्चात् ही उक्त विवादित भूमि के हक अधिकार तय होंगे। इसलिए प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। अन्त में अप्रार्थी/वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी का जबाव देकर निवेदन किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावें।

जवाब देही पूर्ण होने पर विद्वान अधिवक्ता की बहस श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त प्रकरण में विवादित जमीन प्रतिवादी ताराचन्द की स्वअर्जित सम्पति है। जिसमें वादी भागीरथ का कोई लेना देना नहीं हैं तथा ना ही कोई हक से कब्जा काश्त है। इस कारण वादी को मौजुदा वादपत्र के लिए वादकारण पैदा नहीं हुआ। वादकारण के अभाव में दावा खारिज योग्य है। विक्रय पत्र खारिज करवाने से पहले दावा विधि द्वारा वर्जित है। बहस के दौरान प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के संबंध में निम्न दृष्टांत पेश किए :–

- Shri Mahaveer Singh : Member - (Ram Pratap v/s Sohan Lal & anr.) Revision No. 6195/Hanmangarh of 2011, Decided on 15th October, 2015

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी ने दौराने बहस जबाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र दावा हाजा को लम्बित रखने की नियत से बिना किसी आधार के पेश किया गया है जो खारीज किये जाने योग्य है। वादी का दावा वादकारण के अभाव में खारिज होने लायक नहीं है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पोषणीय नहीं होने से खारीज फरमाया जावे।

विधि के बिन्दु पर आदेश 7 नियम 11 निम्नानुसार है जिसके अनुसार वाद पत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जायेगा :–

1. जहां वह वाद हेतुक प्रकट नही करता है।

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

2. जहां दावाकृति अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है,
3. जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प–पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है,
4. जहां वाद पत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है,
5. जहां वह डुप्लीकेट फाईल नही किया गया है,
6. जहां वादी 9 नियम 2 की अनुपालना करने में असमर्थ रहा है।

दौराने बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी में वकील प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 ने आपत्ति जताई कि वादी को कोई वादकारण पैदा नहीं हुआ अतः बिना वाद कारण के दावा विरूद्ध कानून है काबिले खारिज है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद वादी खारीज किया जावे। जवाब में विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी ने कथन किया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में कोई सार नहीं है, यह खारिज योग्य है।

समस्त तथ्यों साक्ष्य सबूतों दौराने बहस पेश की गई दलीलों के मध्यनजर प्रतिवादी द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पोषणीय होने से स्वीकार किया जाता है तथा वादी द्वारा दिनांक 16.12.2021 को प्रस्तुत वाद खारीज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.03.26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
झुंझुनूं

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) झुंझुनूं

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)
न्यायालय सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) झुंझुनूं जिला झुंझुनूं (राज0)
पीठासीन अधिकारी:—सुप्रिया
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत **विभाजन** एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तिम वाद डिक्री

उनवान भागीरथ बनाम ताराचन्द वगैरह

मुकदमा नम्बर :— राजस्व वाद संख्या 1221/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, सुप्रिया (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फा. ट्रे.) झुंझुनूं बहाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी वादपत्र खारिज किये जाने बाबत् में पारित निर्णय दिनांक 05.03.26 के अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार होने पर वाद वादी खारीज किया जाता है।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 05.03.26 को जारी की गई।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
झुंझुनूं
सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	4	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	1	स्टाम्प अर्जी	
मेहनतनामा वकील		मेहनतनामा वकील पर	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
फीस कमिश्नर		फीस कमिश्नर	
बाबत् इजराय हुक्मनामा		बाबत इजराय हुक्मनामा	
		मुतफरिक	
योग	5		

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
झुंझुनूं
सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)